

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-24/2016 परि0...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- M/s-Tata Motors Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- Tata Motors Ltd. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रोटोटाइप जाँच प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Variants	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	TATA TIAGO XB 1.2 RTN BS4	i. TATA TIAGO XE 1.2 RTN BS4 ii. TATA TIAGO XM 1.2 RTN BS4 iii. TATA TIAGO XT 1.2 RTN BS4 iv. TATA TIAGO XZ 1.2 RTN BS4 v. TATA TIAGO XE(0) 1.2 RTN BS4 vi. TATA TIAGO XM(0) 1.2 RTN BS4 vii. TATA TIAGO XT(0) 1.2 RTN BS4	Passenger Car M1	Rs. 332584 से 432572/- के बीच
2	TATA TIAGO XB 1.05 RTQ BS4	i. TATA TIAGO XE 1.05 RTQ BS4 ii. TATA TIAGO XM 1.05 RTQ BS4 iii. TATA TIAGO XT 1.05 RTQ BS4 iv. TATA TIAGO XZ 1.05 RTQ BS4 v. TATA TIAGO XE(0) 1.05 RTQ BS4 vi. TATA TIAGO XM(0) 1.05 RTQ BS4 vii. TATA TIAGO XT(0) 1.05 RTQ BS4	Passenger Car M1	Rs. 408562 से 513964/- के बीच

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण(वैधता) अधिनियम, 1995 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:—Authorised Signatory: For M/s- Tata Motors Ltd., Sai Corporate Park, Block-B, 4th Floor
Rukunpura, Bailey Road, Patna-800014 को सूचनार्थ प्रेषित ;

ह0/-


अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4190

पटना, दिनांक : 4/7/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan
Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि कर दिया जाय। I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस
निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type Approval का एक फोल्डर बनाकर इसमें इसकी Entry
कर दी जाय।


अवर सचिव, 4/7/16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

